प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सूचना माध्यमों की पहुँच एवं प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययनः मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल शहडोल जिले के संदर्भ में

कल्पना कुमारी
शोधार्थी, आईसेक्ट विश्वविद्यालय, रायसेन (म.प्र.) भारत

I प्रस्तावना

प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया को संचार कहते है जिसमे जानकारी पहुंचाने के लिए ऐसे माध्यम (Medium) का प्रयोग किया जाता है जिससे संप्रेषित सूचना प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों समझ सकें। यह एक ऐसी प्रक्रिया हैं जिसके द्वारा प्राणी विभिन्न माध्यमों के द्वारा सूचना का आदान–प्रदान करता है। संचार की मांग हैं कि सभी पक्षों को एक समान भाषा का बोध हो जिसमें कि सूचना का आदान–प्रदान हुआ हो। जनसंचार (Mass communication) से तात्पर्य उन सभी साधनों से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक होते हैं। प्रायः इसका अर्थ सम्मिलित रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र से लिया जाता है जो समाचार एवं विज्ञापन दोनो के प्रसारण के लिये प्रयुक्त होते हैं। वर्तमान में भूमंडलीकरण के इस युग में इंटरनेट के माध्यम से भी सूचनाओं का लोकव्यापीकरण हुआ है और इसे भी जनसंचार के प्रकार के रूप में देखा जाने लगा है। जनसम्पर्क का अर्थ बड़ा ही व्यापक और प्रभावकारी है। लोकतंत्र के आधार पर स्थापित लोकसत्ता के परिचालन के लिए ही नहीं बल्कि राजतंत्र और अधिनायकतंत्र के सफल संचालन के लिए भी जनसंपर्क आवश्यक माना जाता है। कृषि, उद्योग, व्यापार, जनसेवा और लोकरुचि के विस्तार तथा परिष्कार के लिए भी लोकसंपर्क की आवश्यकता है। जनसंपर्क का शाब्दिक अर्थ है जनसाधारण से अधिकाधिक निकट संबंध।

मानव व्यवहार पर असर डालना संचार की मुख्य क्रिया है इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर हमें मालूम होना चाहिए कि लोग सूचना व जानकारी एवं संदेश की अनुभूति कैसे प्राप्त करते हैं तथा उसे ग्रहण करने के लिए किस प्रकार राजी होते हैं। जनसंचार एक विशेष प्रकार का संचार है। यह कैसे होता है और इसकी आधुनिक समाज में क्या उपयोगिता है, इसकी जानकारी जरूरी है। जनसंचार माध्यम हमें सूचना व शिक्षा देने के साथ–साथ मनोरंजन के साधन के तौर भी कार्य करता है।

जनंसचार का प्रारंभ अखबारों के उदय के साथ माना जाता है। लेकिन प्रिंट मीडिया के विकास से पहले परंपरागत रूपों में जनसंचार मौजूद था। व्यापक लोगों तक किसी सूचना को पहुंचाने के लिए ढोल–नगाड़े, डुगडुगी, भोंपू, तोप, चर्च की घंटियां, धुआं, आग तथा अन्य संकेतों का उपयोग होता था। इन रूपों में होने वाले जनसंचार में संकेतों की ऐसी व्यवस्था समाहित होती थी, जिनकी व्यापक जनसमुदाय द्वारा एक समान रूप में व्याख्या होती थी। संचार की आवश्यकताओं के विकास के साथ ही संचार के रूपों एवं उपकरणों का भी विकास होता गया। हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य में जनसंचार के सभी माध्यमों को मीडिया कहते हैं। मीडिया के लिए विकास एवं लोक सेवा की अवधारणा नई नहीं है। मीडिया के चरित्र में ही विकास एवं लोक सेवा की भावना निहित है। वर्तमान समय में सर्व शिक्षा अभियान को आदिवासी क्षेत्रों में सफल बनाने के लिए सरकार ने मीडिया को काफी महत्त्व देते हुए मीडिया के विभिन्न माध्यमों के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की सूचना जनजातियों तक पहुंचाने का प्रावधान किया है। लोकतंत्र में सर्व शिक्षा अभियान संबंधी नीतियों को बनाना सरकार का दायित्व है, लेकिन इन नीतियों की जानकरी संबंधित जनता तक पहुंचाने का नैतिक दायित्व मीडिया पर होता है। अपने इस दायित्व का निर्वहन करते हुए मीडिया, केवल योजनाओं की जानकारी ही जनता तक पहुंचाने तक अपने आप को सीमित नहीं रखती, अपितु मीडिया योजना के सफल या असफल बनाने की कार्यप्रणाली से भी जनता व सरकार को समय–समय पर अवगत कराती रहती है, साथ ही साथ उक्त संबंध में सुझावों को भी प्रस्तुत करती है।

पूरे भारत में 6654 प्रखंड (विकासखंड़) हैं जिसमें से 3451 प्रखंड शैक्षिणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। गैर–आदिवारी व आदिवारी राज्यों की तुलना करे तो हरियाणा जहां आदिवासियों की शून्य जनसंख्या है, वहां पर कुल प्रखंड 191 हैं जिनमें से मात्र 36 प्रखंड शैक्षिणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश, जहां जनसंख्या के स्तर पर सर्वाधिक आदिवासी निवास करते हैं , कुल 313 प्रखंडों में से 201 प्रखंड शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के सभी पांच विकासखण्ड शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। प्राथमिक शिक्षा व साक्षारता विभाग की मीडिया कमेटी की 16 जुलाई, 2010 को हुई बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के प्रचार हेतु 100 दिनों का प्रचार अभियान दूरदर्शन तथा ऑल इंडिया रेडियो द्वारा चलाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा अभियान के प्रचार–प्रसार हेतु लोकसभा चैनल के साथ–साथ 32 निजी चौनलों के लिए डीएवीपी विज्ञापनों का प्रावधान किया गया। प्रिंट माध्यम की महत्ता को स्वीकार करते हुए सरकार ने प्रिंट माध्यमों से भी अभियान का प्रचार करवाया। शिक्षक दिवस, बाल दिवस व कॉमन वेल्थ खेलों के दौरान अभियान के प्रचार व प्रसार हेतु विशेष अभियान चलाए गए।

वैसे किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होती है। किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चों में निहित होता है जिनकी शिक्षा व्यवस्था के विकास में समाज के सर्वांगीण विकास की संभावनाएं परिलक्षित होती हैं। भारतीय संविधान में 6–14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं

अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा शैक्षणिक विकास हेतु अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। शिक्षा के विकास के लिए योजनाओं के निर्माण के क्रम में सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की महत्ता को समझा तथा प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न कालखंड में योजनाओं का निर्माण किया। वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में प्रयासरत है।

इस संदर्भ में बात करें तो सरकार की भेदभावपूर्ण नीति का ही परिणाम है कि देश की कुल साक्षरता दर की तुलना में जनजातीय समाज की साक्षरता दर वर्तमान में भी कम है। प्रो. रामशरण जोशी ने 1976 –1977 में बस्तर के आदिवासियों में आधुनिक शिक्षा के अध्यन के दौरान पाया कि "प्रशासन से लेकर सवर्ण अध्यापक तक प्रायः इस विश्वास के थे कि यह जाहिल, काहिल, जंगली जाति (आदिवासी) कभी सभ्य नहीं बन सकते।"

जनजातीय शिक्षा के विकास में भाषा भी एक बडी बाधा है। अधिकतर जनजातीय भाषाएं मौखिक हैं जिनकी कोई लिपि नहीं है। अधिकतर राज्यों में जनजातीय तथा अन्य जनसंख्या को एक ही भाषा में शिक्षित किया जा रहा है जिसके कारण अधिकतर जनजतियों में रुचि की कमी हो जाती है।

(क) प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान

एक राष्ट्रीय योजना के रूप में देश के सभी जिलों में लागू की गई है। सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य 6–14 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। सर्व शिक्षा अभियान में बालिकाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों तथा कठिन परिस्थितियों में रह रहे छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन आबादी क्षेत्रों में अभी तक स्कूल नहीं हैं, वहां नए स्कूल खोलना तथा अतिरिक्त कक्षाओं हेतु नए कमरे, शौचालय, पेयजल, रख–रखाव एवं स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से नए स्कूल खोलना और उनमें सुधार लाना शामिल है। शिक्षा के अंतर को समाप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का भी प्रावधान है। सरकारी आंकडों के मुताबिक सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई है।

(ख) सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण का एक प्रयास है। इस अभियान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा द्वारा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने तथा पूरे देश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने पर जोर दिया गया। यह योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं के मध्य सहयोग पर आधारित है जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं, शाला प्रबंधन समितियों, ग्राम शिक्षा समितियों, शहरी कच्ची बस्तियों की शिक्षा समितियों, जनजातीय स्वायत परिषद तथा अन्य संस्थानों का विद्यालय प्रबंधन के कार्य को भी सम्मलित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान (2000–01) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरूआत अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया। इस संदर्भ में गांधी जी का यह कथन आज भी प्रासंगिक है कि शिक्षा को इस प्रकार से क्रांतिकारी बनाया जाए जिससे कि वह निर्धनतम ग्रामीण की जरुरतों का जवाब बन सके, बजाए इसके कि वह केवल साम्राज्यवादी शोषकों की ही जरूरतों की पूर्ति करे।"

II शोध का उद्देश्य एवं अध्ययन क्षेत्र

सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में संचार माध्यमों के पहुंच व प्रभाव का अध्ययन को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। शोध मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में किया गया है जो मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में से एक जिला है।

चूँकि जनजाति क्षेत्र अधिकांशः पहाड़ी इलाके में स्थित होते है। शोध अध्ययन का क्षेत्र मैकाल पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित करकटी (बुढ़ार विकासखण्ड) व लफड़ा (गोहपारू विकासखण्ड) गांव है। यहां आदिवासी समुदाय के 30 सदस्यों पर अध्ययन किया गया। गांव में बैगा आदिवासियों का निवास है। यहां आबादी काफी विरल है। शोध क्षेत्र के आदिवासी समुदाय का जीवनयापन मुख्य रूप से कृषि व मजदूरी पर आधारित है। बाल–विवाह आम है। शोध क्षेत्र आधुनिक विकास के मापदंड से काफी दूर है।

प्रस्तुत शोध में कुल 30 उत्तरदाताओं के माध्यम जानकारी ली गई। उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन विधि से किया गया है। उत्तरदाताओं में महिला और पुरूष दोनों शामिल हैं। प्राप्त आंकड़ों को एकत्रित करके तथ्यों का विश्लेषण किया गया।

III शोध का महत्व

इस अध्ययन में हेराल्ड लॉसवेल के मॉडल के अनुसार क्या, कौन, किस माध्यम से, किससे और कैसे सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है। यह तय करता है कि सूचना लक्षित समुदाय को कितना और कैसे प्रभावित करती है । सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक योजनाएं बनाई जाती हैं लेकिन समस्या आजादी के 68 वर्षों बाद भी जस–की–तस बनी हुई है। सरकार द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से निरंतर प्रचार–प्रसार किया जा रहा है फिर भी जनजातीय शिक्षा की हालत आज भी बद–से–बदतर बनी हुई है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से प्राप्त तथ्यों के अनुसार अगर सरकार योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु मीडिया का उपयोग पूर्णतः कर, जनजातीय समुदाय को इसका लाभ पहुंचाना चाहती है तो यह शोध पत्र सरकार के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगी। शोध पत्र में संचार की असफलता के कारणों पर भी प्रकाश डाला गया है।

सरकार चाहे तो इन कारणों का निराकरण कर जनजातीय क्षेत्रों में योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर सकती है।

IV विश्लेषण

सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के लिए बच्चों का स्कूल जाना अनिवार्य शर्त है। पुनः संबंधित लक्षित समूह तक कार्यक्रम की सूचना लोकतांत्रिक मीडिया के माध्यम से व जनतांत्रिक तरीकों से पहुंचाना भी उतनी ही जरूरी है। सरकार ने मीडिया के विभिन्न माध्यमों को सर्व शिक्षा अभियान के प्रचार–प्रसार हेतु बजट प्रदान किया है लेकिन शोधार्थी को प्राप्त उत्तरों के अनुसार शोध क्षेत्र में मीडिया के माध्यम सर्व शिक्षा अभियान की जानकारी पहुंचाने में असक्षम है। मीडिया माध्यमों की असफलता का मुख्य कारण संबंधित क्षेत्र में मीडिया माध्यमों का उपयोग करने हेतु अनिवार्य संसाधनों की अनुपलब्धता है। किसी भी योजना की सफलता में कई सारे कारकों का योगदान होता है। आम तौर पर मानव समाज रोटी, कपड़ा और मकान के बाद शिक्षा की अनिवार्यता पर ध्यान देता है। शोध क्षेत्र में रोजगार, सड़क, पानी की उचित सुविधा न हो पाने के कारण शोध क्षेत्र के जनजाति शिक्षा की महत्ता को स्वीकार करने के बावजूद भी अपने बच्चों को निरंतर स्कूल नहीं भेज पाते हैं। योजना से संबंधित वर्ग द्वारा प्रतिपुष्टि व सुझाव योजना के लिए सांजीवनी का काम करते हैं। आम तौर पर यह कहा जाता है कि जनजति समाज अन्य समाज से संपर्क स्थापित करने में कतराता है। इसके कारण विभिन्न हो सकते हैं। चुप रहने के कारण गैर आदिवासी समाज के कुछ सदस्य आदिवासी समाज को मौनी बाबा की संज्ञा देते हैं। उनकी इस धारणा को तोड़ते हुए शोध क्षेत्र के संबंधित आदिवासी समुदाय ने ग्राम विकास हेतु स्कूल, सड़क आदि की उपलब्धता को अनिवार्य बताया। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान से संतुष्ट होने तथा इसे प्रभावित बनाने हेतु स्कूल को निवास स्थान के निकट बनाने का सुझाव दिया।

आधुनिक विकास की धारा से दूर आधुनिक सुविधाओं से वंचित गांव के सदस्य के लिए शोध के दौरान शिक्षा के अलावा अन्य अनुपलब्ध सुविधा के बारे में अपने राय देना स्वाभिक था। अतः शोध क्षेत्र के सदस्यों द्वारा पानी, बिजली, सड़क योजनाओं के क्रियान्यवन पर अपना मत देते हुए कहा कि यह सुविधाएं वर्तमान में शोध क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं। आदिवासी समुदाय द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना यह दर्शाता है कि समाज में विकास की राह से जुड़ना चाहता है और इस राह में अगर संचार माध्यमों का साथ उन्हें मिले तो शिक्षा के साथ–साथ अन्य पहलू जो विकास के लिए मापदंड का कार्य करती है का विकास शोध क्षेत्र में प्रारंभ हो जाएगा।

V निष्कर्ष

संचार का काम सूचना देना, शिक्षित करना एवं मनोरंजन करना है। संचार माध्यम योजनाओं तथा विकास के कार्यों को संप्रेषित करते हैं। लेकिन संचार माध्यम तभी अपने काम को सुचारु रुप से संचालित कर सकते हैं जब उनके लिए आधारभूत संसाधनों की पूर्णतः उपलब्धता हो। वहीं संबंधित शोध क्षेत्र में अध्ययन करने के उपरांत ज्ञात हुए कि बिजली और सड़क की अनुपलब्धता के कारण वहां पर कोई भी संचार माध्यम अपनी पहुंच से परे है। सरकार द्वारा संचालित हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार यानि सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम चला रही है। लेकिन संचार माध्यमों की अनुपलब्धता के कारण 53.33 प्रतिशत लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है। विवेकानंद ने कहा है "ज्ञान से ज्ञान का विकास होता है।" आज के जनजाति समुदाय को योजनाओं की उचित जानकारी नहीं मिल पाती है जिससे योजनाएं तो असफल होती ही है साथ ही साथ देश का विकास भी प्रभावित होता है। संचार के नए माध्यमों में केवल मोबाइल का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है इसका कारण यह है कि लोग उसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं तथा बिजली की कमी के बावजूद भी उसे गांव से बाहर जाकर चार्ज किया जा सकता है।

सर्वशिक्षा अभियान 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षित करने का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षित करना है लेकिन आज भी सभी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कारण बच्चे अपने मां–पिता के साथ काम पर चले जाते हैं जिस कारण से उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। माता–पिता अशिक्षित होने के बावजूद भी वह अपने बच्चों को शिक्षित तो करना चाहते हैं, परंतु उन्हें सही समय पर योजनाओं की सही जानकारी नहीं मिल पाने के कारण तथा आर्थिक मजबूरी के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। फिर भी 27.67 प्रतिशत जनजाति के लोग स्वयं की समझ व अपने व परिवार के विकास हेतु बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं तथा उनकी नियमितता को बनाए रखते हैं। जानकारी के बिना विरोध का सवाल ही नहीं उठाया जा सकता है। लोगों को सर्व शिक्षा अभियान योजना की पूर्ण जानकारी न होने के कारण मध्यान भोजन, गणवेश (स्कूल वेशभूषा) बच्चों के लिए किताबें तथा छात्रवृत्ति से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं है।

आंकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष ज्ञात हुआ कि जनजातीय क्षेत्रों में मीडिया के आधुनिक माध्यमों की पहुंच नहीं है। जबकि जनजातीय समाज शिक्षा के प्रति जागरूक तो है लेकिन आवश्यक संरचनाओं के अभाव में जनजाति समाज शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है, क्योंकि सरकार केवल योजनओं को बनाने का ही काम करती है उन्हें सही तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पाती है। सरकार योजनओं को लागू करने के बाद उसके बारे में लोगों की राय तथा जानकारी लेने संबंधित कोई सार्थक प्रयास नहीं करती है। सरकार मीडिया के विभिन्न माध्यमों को लक्षित तो करती है लेकिन सरकार

के यह लक्षित माध्यम जनजाति इलाकों तक लक्ष्य प्राप्ति में असफल साबित होते हैं। इसका मुख्य कारण जनजाति क्षेत्रों में मीडिया माध्यमों का लाभ लेने हेतु अनिवार्य सुविधाओं का अभाव होना है।

संदर्भ

[1] गुप्ता, रमणिका (2012): **आदिवासी भाषा और शिक्षा**, दिल्लीः स्वराज प्रकाशन

[2] जोशी, रामशरण (1999): **आदिवासी समाज और शिक्षा**, दिल्लीः ग्रंथ शिल्पी(इंडिया) प्रा. लि.

[3] नदीम हसनैन (2007):, **जनजातीय भारत**, दिल्लीः जवाहर प्रकांशन